**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)**

क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/2015–16        जयपुर, दिनांक 5 नवम्बर,2015

**जिला कलक्टर,**
**समस्त, राजस्थान।**

**विषय :– ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों की गुणवता जॉच व आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत अभियन्ता/स्वय सेवी संस्था/सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों की सेवाएं लिए जाने बाबत्।**

**प्रसंग :– ग्रामीण विकास विभाग, (अनुभाग–3 नरेगा) के पत्रांक एफ 4(9)आरडी आरई एनएलएम/पार्ट–II 08 दिनांक 05 अप्रैल, 2010.**

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन/निगरानी कराये जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में व्यक्ति/संस्थाओं से विभाग द्वारा ''अभिरूचि की अभिव्यक्ति'' आमन्त्रित की गई, जिसमें से पात्र 28 व्यक्ति/संस्थाओं को चयन कर सूचीबद्ध किया गया है (सूची संलग्न)। सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के अलावा विभागीय स्तर पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के प्रतिनिधियों से बैठक में चर्चा कर संबद्ध सरकारी व गैर सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों की सेवा लिए जाने का निर्णय किया गया है।

सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं जिन्हें आगे तृतीय पक्ष जॉचकर्ता सम्बोधित किया गया है की सेवाऐं, दायित्व व मानदेय प्रासंगिक पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2010 के अनुरूप निम्न शर्तों के अध्याधीन होगी :–

**1. मानदेय :–**

सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं में से किसी भी व्यक्ति/संस्था से किसी भी जिले में योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग कार्य का निरीक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन से जुडी शिकायत की जॉच करवाई जा सकती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी कार्य करवाया ही जावें। संस्था/व्यक्ति को उनके निवास स्थान/संस्थान के पते पर या ई–मेल/दूरभाष के माध्यम सूचित किया जावेंगा। वित्तीय वर्ष की शुरूआत सभी संस्था/व्यक्ति को अपनी अभिरूचि के जिलों के नामों से अवगत कराना होगा अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संस्था/व्यक्ति राज्य के सभी जिलों में कार्य करने हेतु इच्छुक है।

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता उनको सौपे गये कार्य को निर्धारित अवधि में सम्पादित कर आदेश देने वाले कार्यालय/विभाग को व्यक्तिशः अथवा ई–मेल/कोरियर/डाक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिस हेतु उन्हें कोरियर/डाक का वास्तविक व्यय देय होगा। तृतीय पक्ष अपने मुख्यालय से बाहर व्यक्तिशः रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेंगे, रिपोर्ट pdf format में ई–मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकेगें।

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को राशि 1,000/– रू. प्रतिदिन की दर से कार्य करने के दिवस के आधार पर मानदेय भत्ता देय होगा एवं उनके मुख्यालय से आदेशित कार्यस्थल की यात्रा हेतु कार/जीप का वास्तविक यात्रा दूरी का भाडा वित्त विभाग की प्रचलित दर से देय होगा। किसी भी आवंटित कार्य की कार्यावधि 2 दिवस से अधिक होने की परिस्थिति में कार्यस्थल क्षेत्र के जिले/पंचायत समिति मुख्यालय पहुँच कर ही कार/जीप किराये पर ली जावें एवं कार्यस्थल क्षेत्र के जिले/पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुँचने हेतु ऐसी टूटीयर रेल/डीलक्स बस का वास्तविक किराया देय होगा। यथा सम्भव राज्यहित में मित्तव्ययता की दृष्टि से स्थानीय/समीपस्थ सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं को प्राथमिकता से कार्य आवंटन किया जावें।

**2. देय ठहराव भत्ता :–**

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को भ्रमण के दौरान सम्भागीय स्तर के जिलों पर राशि 500/– रू. तथा अन्य जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर राशि 400/-- रू. प्रतिदिन ठहरने, भोजन व्यवस्था एवं स्थानीय परिवहन सहित (रेल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड से आने जाने) देय होगा। तृतीयपक्ष को यात्रा / ठहराव व मानदेय के पेटे कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

**3. अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि :–**

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को टंकण/फोटोस्टेट कार्य हेतु 100/– रू. प्रति कार्य देय होगें। विशेष परिस्थिति में जॉच रिपोर्ट/आवंटित कार्य की सम्भावित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में कार्य आवंटन करने वाले कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आंकलन कर वास्तविक व्यय का भुगतान किया जा सकेंगा।

**4. क्लेम बिल प्रस्तुत करना :–**

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता उनको देय मानदेय, वाहन किराया, यात्रा/ठहराव भत्ता एवं अन्य व्यय प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम जॉच/कार्य हेतु आदेश देने वाले कार्यालय/विभाग को प्रस्तुत करेंगे एवं सम्बन्धित के द्वारा सम्बन्धित योजना के मद से नियमानुसार अधिकतम 7 दिवस में अकाउन्ट पेई चैक/ऑन–लाईन खाते में भुगतान सुनिश्चित करेंगें।

**5. तृतीय पक्ष चयनकर्ता को सूचीबद्ध सूची से हटाया जाना :–**

- विभाग द्वारा चयनित तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को आवश्कयतानुसार कार्य का आवंटन किया जावेंगा आवश्कयता नही होने पर उन्हें कार्य आवंटन करना आवश्यक नहीं है।
- तृतीय पक्ष जॉचकर्ता द्वारा उनको निर्देशित कार्य की अनुपालना संतोषजनक नहीं पाये जाने विभाग द्वारा बिना पक्ष सुने कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है। विभाग के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी उनके कार्य के संतोषप्रद नहीं होने की रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास, ग्रुप–5 को प्रेषित करेंगे, जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर चयनित सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।
- विभाग द्वारा चयनित तृतीय पक्ष जॉचकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर कभी भी चयनित सूची पृथक किया जा सकता है एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
- सेवानिवृत अधिकारी जिनका तृतीय पक्ष जॉचकर्ता के रूप में चयन किया है, यदि उनके विरूद्ध हुई सेवा अवधि में किसी कार्यवाही में उन्हे दोषी ठहराया गया है तो विभाग की जानकारी में आने पर उन्हे कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

6. **अन्य शर्तें :–**

अन्य शर्तें एवं निर्देश जो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जावेंगे। वे नियमानुसार लागू होंगे। सभी प्रकरणों में शासन सचिव, ग्रामीण विभाग का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

राज्य के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा व निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर से सम्बद्ध सरकारी व गैर–सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सेवाएं लिये जाने पर उनके विभाग द्वारा जारी दरों पर नियमानुसार भुगतान किया जावे।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

5/11/15

**(राजीव सिंह ठाकुर),**
**शासन सचिव, ग्रावि**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–**

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–**

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
3. डीन (सिविल), राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
5. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.)/ EGS ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साइट पर अपलोड कराने हेतु।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभि., जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. सम्बन्धित तृतीय पक्ष श्री .............................................................
10. रक्षित पत्रावली।

5/11/15

(के. के. शर्मा)
**अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि**

D:\Suresh SE RD PC\SURESH PA 2014-15.docx

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये/प्रगतिरत निर्माण कार्यो के निरीक्षण कर गुणवत्ता जाँच आदि हेतु जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (एफ 27(41) ग्रावि–5/इ.आ./जीकिएन/क्यू.सी./2014–15 दिनांक 30.06.2015) के क्रम में प्राप्त निविदाओं/प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण :–

| क्र.सं. | पार्टी का नाम | अधिकृत प्रतिनिधी का नाम संस्था की स्थिति में | पता | मोबाइल न. /टेलिफोन न. | जिलो की प्राथमिकता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री गोखलेश दत्त (2) | | 6 दुर्गा विहार, नियर राम मदिर नियर एयरपोर्ट, टोंक रोड, जयपुर पिन–302029 | 94140063612 | जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, टोंक, समस्त जिले |
| 2 | श्री अनिल कुमार शुक्ला (7) | | एम पी बी –110 आईसीआई बेंक के निकट, महावीर नगर प्रथम कोटा | 9672266696 | कोटा, बारां, झालावाड |
| 3 | अनिल कुमार मोगरा (20) | अनिल कुमार मोगरा | ए–9, सीकर हाउस कॉलोनी, हाजी कालोनी के अन्दर, झोटवाडा रोड, जयपुर | 9460287264 | जयपुर, अजमेर, दौसा व अन्य |
| 4 | ETTL (4) | प्रभीर कुमार | 78 इन्द्र प्रस्त कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर | 7891927777 | जयपुर |
| 5 | मैंर्सस प्रहलाद ऐंटरप्राइजेज (12) | हरीकिशन उपाध्याय | 8/138 एम पी नगर बीकानेर | | बीकानेर |
| 6 | आरशिया कन्सलटिग इन्जिनियर्स प्रा. लि. फरिदाबाद (14) | दीपक शर्मा | बी–1033, ग्राउन्ड फ्लोर ग्रीन फाईल्ड कॉलोनी निअर एनएचपीसी चौक, फरिदाबाद | 9999627951 | जयपुर, जोधपुर, टोंक, पाली |
| 7 | टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर, जयपुर (15) | निरज लेकर | 184/16 सेक्टर 18, प्रतापनगर, जयपुर। | 9414051268 | सम्पूर्ण राजस्थान |
| 8 | राजहंस टेक्नोक्रेटर्स (16) | राजु सिंह | ऑफिस नम्बर 03, तृतीय तल, अमरदीप कॉमपेलेक्स, सरदारपुरा बी, जोधपुर | 8003589999 | जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, राजसमन्द, बीकानेर |
| 9 | सेल्फ डवलपमेन्ट इस्टीट्यूट (19) | समीर गौतम | श्री निकेत, 30, शिवपुरी कालोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर | 9414446370 | समस्त |
| 10 | मिलेनियम कन्सलटेन्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स (25) | संजय सामरिदा | 33, नालन्दा विहार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर | 9772203324 | जयपुर व निकट अन्यथा सम्पूर्ण राजस्थान |
| 11 | नवकार ऐसोसीयेटस | सुनील वी पोपली | 103–04, जगदीश एनकेल्व, राम मन्दिर के सामने, हवा सडक, 22 गौदाम, जयपुर | 0141–2224437 | जयपुर, भीलवाडा, जोधपुर अन्यथा सम्पूर्ण राजस्थान |
| 12 | महेन्द्र सिंह पाउ (13) | – | न्यू गीता आश्रम कॉलोनी, भास्कर मोहल्ला, जैसलमेर | 9928990446 | जैसलमेर |
| 13 | राजू सिंह (17) | राजू सिंह | हाउस न. 2/5, सी.एच.बी. जोधपुर–342001 | 8003589999 | जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाडमेर |
| 14 | रामप्रकाश विश्नोई (22) | रामप्रकाश विश्नोई | 372, लक्ष्मीनगर, पावटा बी रोड, जोधपुर–342006 | 9414474764 | जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही |
| 15 | रामकुमार जान्डू (28) | रामकुमार जान्डू | III–ई–47, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर–334001 | 9414062032 | बीकानेर |
| 16 | आईडियल डवलपमेंट इन इनवायरमेन्टल एण्ड एग्रीकल्चर, संस्थान (IDEAS), जयपुर | सैकरेटरी जनरल, डॉ. अशोक कुमार सोमानी | 177, हीरा नगर डीसीएम जयपुर 302021 | 9414071583<br>0141 2000000 | सम्पूर्ण राजस्थान |

| क.सं. | पार्टी का नाम | अधिकृत प्रतिनिधी का नाम संस्था की स्थिति में | पता | मोबाइल न. / टेलिफोन न. | जिलो की प्राथमिकता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | प्रज्ञान रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ डिपलोमा इंजिनियरिंग, बालोतरा | दिलिप गहलोत | 16/64, माली समाज भवन के पास गांधीपुरा, बालोतरा जि0 बाडमेर | 9414688871<br>02988000000 | जिला बाडमेर |
| 18 | नेमोटेक कन्सलटेन्सी सर्विसेज, एलएलपी, जयपुर | आमेन्द्र गुप्ता | 113/2 विस्वेसरिया नगर, त्रिवेणी नगर मोड़, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर | 9214507766<br>01412761299 | सम्पूर्ण राजस्थान |
| 19 | महेन्द्र सिंह राजपुरोहित, जोधपुर | महेन्द्र सिंह राजपुरोहित | जी–69, शास्त्रीनगर जोधपुर | 9772202228<br>02912438692 | पाली, जोधपुर |
| 20 | मदन लाल बिजारनिया, हनुमानगढ | मदन लाल बिजारनियः | ग्राम पो0 जसना त0 नोहर जि0 हनुमानगढ | 9413514419 | हनुमानगढ़ (पं.स. नोहर) |
| 21 | साजन राम बेनिवाल, हनुमानगढ़ | साजन राम बेनिवाल | मकान न014, सैक्टर 12 श्रीगंगानगर रोड़ हनुमानगढ़ | 9468878705<br>01552261056 | हनुमानगढ |
| 22 | चन्द्र शेखर गुप्ता, जोधपुर | चन्द्र शेखर गुप्ता, जोधपुर | ए 6, शास्त्री नगर जोधपुर | 9530345972<br>0291 2620246 | सम्पूर्ण राजस्थान |
| 23 | सुभाष चन्द सिंघल, भरतपुर | सुभाष चन्द सिंघल | 293, राजेन्द्र नगर भरतपुर | 9785151535<br>05644 222952 | भरतपुर |
| 24 | मै. टीम इन्फ्रास्टक्चर्स | छोटेलाल कमल | 184/16, प्रताप नगर आरएचबी, नारायण दयाल अस्पताल के पास जयपुर–302033 | 9414051268<br>0141 2651266 | काई भी जिला |
| 25 | बंशीलाल वर्मा | बंशीलाल वर्मा | ग्राम पो0 मुण्डोती (नारूकन), सेन्ट्रल युनिवर्सिटी के पास त0 किशनगढ, अजमेर | 8740898928<br>9982706981 | अजमेर, जयपुर |
| 26 | राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर | जी.एस. शर्मा | 2, जैन रिशभ भवन वापू बाजार, विजय बैंक के पास, उदयपुर | 9414829642<br>02959 270026 | उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमद, चितौड़गढ, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही |
| 27 | बीएसएनएल सिविल विंग, राजस्थान, जयपुर | चीफ इंजिनियर (सिविल), जयपुर | कार्यालय, चीफ इंजिनियर (सिविल), बीएसएनएल राजस्थान सिविल जोन, द्वितीय मंजिल ,प्रशा.भवन, झालाना डूंगरी साउथ ब्लॉक, जयपुर | 9414001786<br>0141 2710080 | सम्पूर्ण राजस्थान |
| 28 | जे.पी. टेकनिकल सर्विसेज | महेश शर्मा | 452, बेबी नगर सोढाला, जयपुर | 9414044173<br>0141 2291173 | सम्पूर्ण राजस्थान |